संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़

विभागाध्यक्ष, ब्लॉक एक, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर, छ.ग.

क्रमांक/आर.एम.ए.स्था./2020/ 414 नवा रायपुर, दिनांकः 13/10/2020

//सूचना//

"संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ अंतर्गत ग्रामीण चिकित्सा सहायक के रिक्त पदों की नियमित नियुक्ति हेतु दस्तावेज सत्यापन की सूचना"

---000---

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन संबंध में ग्रामीण चिकित्सा सहायक के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1–60/202/17–एक, दिनांक 27.07.2020 द्वारा 89 ग्रामीण चिकित्सा सहायक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सहमति/अनुमति उपरांत संचालनालय पत्र क्रमांक/आर.एम.ए. स्था/2020/391, दिनांक 14.08.2020 द्वारा ग्रामीण चिकित्सा सहायक के 89 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर दिनांक 15.08.2020 से 30.08.2020 तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये थे। तत्संबंध में दावा–आपत्ति निराकरण की सूची एवं मेरिट सूची विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in पर प्रकाशित की गई है। **मेरिट सूची के आधार पर अभ्यार्थियों के दस्तावेज सत्यापन संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग., ब्लॉक एक, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर में दिनांक 20.10.2020 को आयोजित किया गया है,** जिसकी विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है :–

क्रमांक	दिनांक	समय	वर्ग	मेरिट सूची में क्रमांक
1	**20.10.2020 मंगलवार**	पूर्वान्ह 11:00 से 02:00 तक	अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग	सरल क्रमांक 01 से 21 तक
2		अपरान्ह 3:00 से 05:00 तक	अनुसूचित जनजाति	मेरिट सूची में दर्शित अनुसूचित जनजाति संवर्ग के समस्त अभ्यार्थी
द्विव्यांग श्रेणी के आरक्षित अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों पर दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं है।				

नोटः–अभ्यार्थी मेरिट सूची का अवलोकन कर लेवें तथा मेरिट सूची के क्रमांक 01 से 21 तक अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु तथा अनुसूचित जनजाति में विज्ञाप्ति पद से कम उम्मीदवार उपलब्ध होने के कारण उक्त वर्ग के समस्त अभ्यार्थियों को आमंत्रित किया गया है।

1. कोविड–19 संक्रमण को देखते हुए अनावश्यक भीड़ न हो इस उद्देश्य से समय–सीमा निर्धारित की गई है, अतः समस्त अभ्यार्थी निर्धारित समय–सीमा का पालन करें एवं शासन नियमानुसार अनिवार्य रूप से मॉस्क लगाकर दो गज की दूरी एवं हेंड सेनेटाईजर का प्रयोग करते हुए निर्धारित समय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होवें।

2. अभ्यार्थी को अपने साथ विज्ञापन में दर्शित दस्तावेजों (10 वी, 12वी के अंकसूची, पी.एम.एच.एम. के समस्त वर्ष की अंकसूची, छ.ग. चिकित्सा मण्डल का पंजीयन प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव/अनापत्ति प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, पहचान पत्र) की **मूल प्रति अनिवार्य रूप से लावें साथ ही उक्त सभी प्रमाण पत्रों के 02 स्व प्रमाणित छायाप्रति लाना अनिवार्य है।**

3. अभ्यार्थी अनिवार्य रूप मूल दस्तावेज एवं छायाप्रति को निम्न क्रम में व्यवस्थित कर प्रस्तुत करेगें :–

1. हाई स्कूल प्रमाण पत्र,
2. हायर सेकेण्डरी प्रमाण पत्र,
3. पी.एम.एच.एम. त्रिवर्षीय चिकित्सा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण सभी वर्षो की अंकसूची
4. छ.ग. चिकित्सा मण्डल का पंजीयन प्रमाण पत्र
5. अनुभव प्रमाण पत्र
6. अनापत्ति प्रमाण पत्र
7. मूल निवास प्रमाण पत्र
8. जाति प्रमाण पत्र
9. शपथ पत्र (विज्ञापन की कंडिका 12 अनुसार)
10. ऑनलॉईन आवेदन की हस्ताक्षरित प्रति एवं अन्य दस्तावेज

4. अभ्यार्थी अपने साथ पहचान पत्र (पेन कार्ड/आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/मतदाता परिचय पत्र) अनिवार्य रूप से लावें।

5. **कोविड–19 संक्रमण के चलते यदि कोई अपरिहार्य स्थिति निर्मित होती है जिससे अभ्यार्थी का दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित होना संभव नहीं हो पा रहा हो तो अभ्यार्थी किसी अन्य व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के रूप में अधिकृत कर सकता है।** अभ्यार्थी द्वारा अपने प्रतिनिधि को दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने के लिये लिखित रूप अधिकृत करेगा एवं अधिकार पत्र में प्रतिनिधि के हस्ताक्षर प्रमाणित किया जाना एवं अनुपस्थित होने का कारण दर्शाया जाना अनिवार्य होगा। उक्त अधिकृत व्यक्ति को दस्तावेज सत्यापन के समय अधिकार पत्र एवं अपना तथा अभ्यार्थी का परिचय पत्र की मूल प्रति एवं अभ्यार्थी द्वारा सत्यापित छायाप्रति अधिकार पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। अभ्यार्थी द्वारा जारी लिखित अधिकार पर नहीं होने की स्थिति में किसी भी प्रतिनिधि को दस्तावेज सत्यापन हेतु मान्य नहीं किया जावेगा।

6. अभ्यार्थी को उक्त दस्तावेज परीक्षण में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रकार का टीए/डीए इस संचालनालय द्वारा देय नहीं होगा।

7. यदि अभ्यार्थी द्वारा समय–सीमा में उपरोक्तानुसार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उन्हें उक्त दस्तोवज प्रस्तुत करने हेतु पृथक से अतिरिक्त समय नहीं दिया जावेगा।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़